न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 252/2025

विनोद कुमार दादरवाल पुत्र श्री पोकरमल, निवासी ग्राम बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्ड़ावा, जिला झुंझुनूं राज.।
——रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22.09.2023 बअदालत नायब तहसीलदार मण्डावा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम विनोद मु0नं0 18/2023 अ0धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :—

1. श्री अमित कुमार शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.11.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, मण्डावा के आदेश दिनांक 22.09.2023 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपील इस प्रकार पेश है कि नायब तहसीलदार मण्डावा ने अपीलान्ट को हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् बिना किसी विधिक प्रकिया को अनाये अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.09.2023 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया एवं ग्राम बहादुरवास की भूमि खसरा नं0 177/478 रकबा 1.30 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.07 है0 पर से बेदखल करने के आदेश दिये एवं अपीलान्ट पर 39/— रुपये बतौर शास्ति भी अधिरोपित की। उक्त आदेश दिनांक 22.09.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.09.2023 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड तथा तथ्यों का ध्यानूपर्वक अवलोकन नहीं किया है एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दिया है। अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ग्राम बहादुरवास तहसील मण्डावा में स्थित भूमि खसरा नं0 177/478 रकबा 0.07 है0 में अतिचारी नहीं हैं बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन पर अपीलान्ट का विधिक कब्जा है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय के आधार पर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि यह निर्णय अनुसूचित जाति/भूमिहीन वर्गों को आवंटित किये गये भूखण्डों पर लागू नहीं होगा। अपीलान्ट भूमिहीन वर्ग से है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अतिचारी नहीं है बल्कि पट्टाधारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने DNJ (2006), 164, hokum singh vs state of rajasthan के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि पट्टाधारी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

जिला कलक्टर झुंझुनूं

नहीं की जा सकती। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट विवादित भूखण्ड पर विधिनुसार 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है तथा इस भूखण्ड के अतिरिक्त अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः अपीलान्ट के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रकिया के आधार पर गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से बसे हुए अपीलान्ट के परिवारों को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अतः इस आधार पर भी अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा का आदेश दिनांक 22.09.2023 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.09.2023 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड तथा तथ्यों का ध्यानूपर्वक अवलोकन नहीं किया है एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दिया है। अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ग्राम बहादुरवास तहसील मण्डावा में स्थित भूमि खसरा नं0 177/478 रकबा 0.07 है0 में अतिचारी नहीं हैं बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन पर अपीलान्ट का विधिक कब्जा है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय के आधार पर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि यह निर्णय अनुसूचित जाति/भूमिहीन वर्गों को आवंटित किये गये भूखण्डों पर लागू नहीं होगा। अपीलान्ट भूमिहीन वर्ग से है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अतिचारी नहीं है बल्कि पट्टाधारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **DNJ (2006), 164, hokum singh vs state of rajasthan** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि पट्टाधारी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट विवादित भूखण्ड पर विधिनुसार 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है तथा इस भूखण्ड के अतिरिक्त अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः अपीलान्ट के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.09.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रकिया के आधार पर गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से बसे हुए अपीलान्ट के परिवारों को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अतः इस आधार पर भी अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा का आदेश दिनांक 22.09.2023 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 177/478 रकबा 1.30 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.07 है0 पर बाड़ बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 177/478 रकबा 1.30 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.07 है0 पर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दिनांक 14.12.1984 को सन्द (पट्टा) जारी किया गया है जिसे अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया था। अदालत मातहत ने उक्त पट्टे की वैधता की जांच किये बगैर निर्णय दिनांक 22.09.2025 को पारित किया है जिसकी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा रिकार्ड अदालत मातहत के अवलोकन से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 22.09.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की वैधता जांच करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं